Ph.No. 0151 - 2540028 (O)
2549348 (Fax)
regrajuvas@gmail.com

RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES,BIKANER

No: F. (36)/ RAJUVAS /Reg./ Gen/2016/ 439 Dated: 29-7-16

अधिसूचना

शैक्षणिक परिषद के निर्णय संख्या 08/06 दिनांक 09.03.2015 एवं निर्णय संख्या 09/05 दिनांक 27.08.2015 तथा प्रबंध मण्डल के निर्णय संख्या 15/डी दिनांक 31.08.2015 तथा राज्य सरकार के अनुमोदन (क्र. प 6(1)पपा/2016 दिनांक 22.07.2016) एवं जारी करने के पश्चात् निजी शिक्षण संस्थाओं को दो वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा कोर्स की संबद्धता प्रदान करने के लिये उक्त निर्धारित न्यूनतम मानदण्डों को वर्तमान में संचालित समस्त संस्थानों एवं भविष्य में खुलने वाले नये संस्थानों पर भी शैक्षणिक सत्र 2016–17 से एतद्द्वारा लागू किया जाता है (मानदण्ड संलग्न है)।

कुलसचिव

प्रतिलिपि –

1. निजी सचिव–कुलपति, राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर को माननीय कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. वित्तनियंत्रक, राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर।
3. अधिष्ठाता एवं संकायाध्यक्ष, पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर।
4. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक.....
5. परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर।
6. समस्त प्रिंसीपल, निजी शिक्षण संस्थान (दो वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा कोर्स)।
7. समन्वयक, पशुपालन डिप्लोमा कोर्स, पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर।

कुलसचिव

Minimum norms for affiliation with Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences, Bikaner for two years Animal Husbandry Diploma Programme by private organization in Rajasthan.

राजस्थान में राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञानविश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा निजी क्षेत्र के दो वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा संस्थानों के लिए सम्बद्धता के नियम

1. किसी भी संस्था द्वारा निजी क्षेत्र में पशुपालन डिप्लोमा संस्थान स्थापित करने के लिए राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना जरूरी है। भूमि, भवन व अन्य सुविधाओं के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र में दी गई शर्तें राजूवास विश्वविद्यालय के नियमों के over & above बाध्यकारी होगी।
2. निजी क्षेत्र में पशुपालन डिप्लोमा संस्थान स्थापित किये जाने हेतु आवेदक संस्थान कारजि. ट्रस्ट/समिति/सह. समिति/कम्पनी (किसी एक)में पंजीयन आवश्यक रूप से होना चाहिए।
3. निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले पशुपालन डिप्लोमा संस्थान को सत्र प्रारम्भ करने से पूर्व राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा सम्बद्धता के लिए निर्धारित दिशा–निर्देश(Guidelines)/समस्त मापदण्ड पूर्ण करने होंगे। निर्धारित दिशा–निर्देश/मापदण्ड पूर्ण नहीं करने की स्थिति में राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा सम्बद्धता नहीं दी जावेगी।
4. निजी संस्थाओं द्वारा राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर, राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी नये/परिवर्तन/संशोधित किये जाने वाले सभी नियमों/नार्मस/गाईडलाईन्स की पालना की जावेगी तथा राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर अथवा राजस्थान सरकार की लिखित अनुमति के बिना किसी निजी संस्थान को नियमों/नार्मस/गाईडलाईन्स के विपरीत कार्यवाही करने या षिथिलता के उपभोग का अधिकार नहीं होगा।
5. राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर से सम्बद्धता हेतु निर्धारित आवेदन फार्म व आवेदन शुल्क मय दस्तावेज, कुलसचिव, पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर कार्यालय में जमा करवाने होंगे।
6. राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा निर्धारित आवेदन–पत्र में ही सम्बद्धता हेतु आवेदन स्वीकार किया जावेगा। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्रों की जाँच पश्चात आवेदक संस्थान का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति से करवाया जावेगा।
7. निरीक्षण समिति अपनी रिपोर्ट विष्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगी।राजूवास निरीक्षण समिति की रिपोर्ट का पुनरावलोकन/परीक्षण विष्वविद्यालय चाहेतो किसी कमेटी/ अधिकारी/ संकायाध्यक्ष से करवा सकती है।(राजस्थान में पशुचिकित्सा के क्षेत्र में डिप्लोमाधरियों की सर्विसेज को रेगुलेट करने के लिए कॉउसिल (नियामक संस्था) का गठन नहीं किया गया है जिसके गठन उपरान्त मान्यता दिये जाने की प्रक्रिया में कॉउसिल की भूमिका के बारे में विष्वविद्यालय द्वारा विचार किया जा सकता है।)
8. सभी आवेदनों पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्णय लिया जावेगा। विश्वविद्यालय अन्तिम निर्णय हेतु निरीक्षण रिपोर्ट को विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद एवं प्रबन्धन मण्डल को

अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगी। इनके अनुमोदन पश्चात् संस्थान को सम्बद्धता प्रदान की जावेगी, अन्यथा आवेदन को पुनः संस्थान को कमियों की पूर्ति व आगामी दिनांक पर पुनः निरीक्षण हेतु लौटा दिया जावेगा।

9. निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले पशुपालन डिप्लोमा संस्थानों को विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सम्बद्धता प्रारम्भ में प्रथम वर्ष (सत्र) के लिए मान्य होगी। आगामी वर्ष (सत्र) हेतु सम्बद्धता, संस्था के गुणावगुण के आंकलन/मूलभूत आवष्कताओं की पूर्ति के मद्देनजर, (आगामी सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व) बढाई/निरस्त की जा सकेगी। जिन संस्थाओं की सम्बद्धता बढाई नहीं गई है अथवा निरस्त की गई है, उन संस्थानों को कमियों से अवगत करवा दिया जावेगा। संस्थान द्वारा कमियों की पूर्ति करने पर विष्वविद्यालय द्वारा पुनः निरिक्षण किया जा सकता है। यदि कमियों की पूर्ति से विष्वविद्यालय संतुष्ट होगा तोदुसरे ए.एच.डी.पी. संस्थानों के साथ में प्रवेष प्रक्रिया प्रारंम्भ होने तक प्रथम वर्षप्रषिक्षुकोंकी प्रवेष प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है। यदि विष्वविद्यालय द्वारा किसी संस्थान की सम्बद्धता बढाई नहीं गई है अथवा निरस्त की गई है तो उनके वर्तमान में अध्ययनरत प्रषिक्षणर्थियों को तात्कालिकता देखते हुए छात्रों के हित में वैकल्पिकव्यवस्था के अन्तर्गत विष्वविद्यालय द्वारा दूसरे सम्बद्धता प्राप्त संस्थानों में रिक्त सीटो पर स्थानान्तरित किया जा सकता है अथवा किसी संस्थान में छात्रहित के मद्धेनजर सीटें बढा कर भीप्रवेष दिया जा सकता है।संबंधित संस्थाओं में सीटों की यह बढौतरी केवल उस सत्र विषेष के लिए ही मान्य होगी। (हर संस्थान में 5 प्रतिषत छात्र देने की बाध्यता व्यहवारिक नहीं होगी क्योंकि दूर के संस्थानों में छात्र को स्थानांरित करने पर छात्रों पर आर्थिक बोझ बढ़ जायेगा तथा उन्हें ज्यादा दूरी की यात्राए करनी पड़ेगी। ज्ञातव्य रहे कि इन संस्थानों में अधिकतर विद्यार्थी कम आयवर्ग से सम्बन्धित होते हैं।)
10. विश्वविद्यालय द्वारा आवेदक संस्था से प्रत्येक निरीक्षण हेतु निर्धारित निरीक्षण शुल्क लिया जावेगा जो कि सम्बद्धता शुल्क से अतिरिक्त होगा। निरीक्षण शुल्क एवं सम्बद्धता शुल्क का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा किया जावेगा।
11. सत्र प्रारम्भ होने के पश्चात् विश्वविद्यालय संस्था का आकस्मिक निरीक्षण समय–समय पर करवा सकेगा तथा संस्था मेंअनियमितता पाये जाने की स्थिति में विश्वविद्यांलय संस्था को प्रदत्त सम्बद्धता को निरस्त कर सकेगा।
12. यदि राज्य सरकार ने अन्य संस्थाओं/ राज्य सरकारी संस्थाओंके प्रयोग की छूट दे रखी हो तो छूट की समय सीमा समाप्त होने तक संस्थान की स्वयं की सुविधाएं सृजित करनी होगी।
13. निजी संस्थान में निम्नलिखित स्टाफ अनिवार्य है।

क्र.सं.	पद तथा योग्यता	संख्या
1	प्रिंसिपल – बी.वी.एससी. एण्ड ए.एच. तथा एम.वी.एससी. अथवा बी.वी. एस.सी. एवं ए.एच. तथा 20 वर्षों का पशुपालन के क्षेत्र में अनुभव	1
2	ट्रेनिंग ऑफिसर – बी.वी.एससी. एण्ड ए.एच.	2
3	लेबोरेट्री असिस्टेंट (AHDP)	1
4	कम्प्यूटर ऑपरेटर Diploma or Certificate in Computer Application.	1
5	लिपिक (10 + 2)	1

14. संस्थान द्वारा कर्मचारियों को भुगतान चैक द्वारा किया जावेगा तथा प्रत्येक वर्ष की आय–व्यय विवरण चार्टड एकाउन्टेंट द्वारा ऑडिट करवा कर निरीक्षण समिति को निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा। कर्मचारियों की अधिकतम आयु 70 वर्ष होगी। इससे अधिक आयु के अधिकारी/ कर्मचारी को संस्थान में कार्य हेतु नहीं रखा जावेगा। कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका का संधारण करना आवश्यश्क होगा। उपस्थिति पंजिका/बायोमेट्रिकपद्धति में प्रत्येक कर्मचारी प्रतिदिन स्वयं हस्ताक्षर अंकित/मुद्रित करेगा। उपस्थिति/ब्यौरे को निरीक्षण के समय निरीक्षण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। (इन संस्थानों की फीस राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई है जिसमें समय समय पर संषोधन शासन के अनुमोदन से किया जा सकेगा)
15. जिस सम्पत्ति पर संस्था द्वारा प्रशिक्षण विद्यालय खोला जाना है उसकी भूमि भवन इत्यादि का स्वामित्व संस्था का होना आवश्यक है। निरीक्षण के समय अपवाद स्वरूप भवन लम्बी अवधि (न्यूनतम 10 वर्ष) की रजिस्टर्ड लीजपर भी हो सकता है जो कि कानुनन सही हो तथा इससे संबंधित कागजात प्रस्तुत करने होगे। पशुपालन डिप्लोमा संस्थान में अन्य कोई शिक्षण कार्य अथवा पठ्यक्रम से इतर गतिविधि पाई जाने पर संस्थान की सम्बद्धता निरस्त कर दी जावेगी।
16. एक निजी पशु पालन डिप्लोमा संस्थान (दो वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम) में 50 विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निम्नलिखित स्थान तथा भवन अनिवार्य है।

(A)संस्थान भवन :–

क्र. सं.	भवन	संख्या	क्षेत्रफल
1.	व्याख्यान /परीक्षा कक्ष (50 विद्यार्थियो के लिए)	2	कम से कम 800 वर्ग फुट
2.	प्रयोग शाला	1	कम से कम 600 वर्ग फुट
3.	पुस्तकालय	1	कम से कम 600 वर्ग फुट
4.	प्राचार्य कक्ष	1	कम से कम150 वर्ग फुट
5.	स्टाफ कक्ष	1	पर्याप्त कक्ष
6.	सहायक कर्मचारी कक्ष सह भण्डारकक्ष	1	पर्याप्त कक्ष
7.	कम्प्यूटर कक्ष	1	पर्याप्त कक्ष

(B)परीक्षाएं पूर्णतया विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुरूप करवानी होगी। इस बाबत परीक्षानियंत्रक/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। वर्तमान में लागू निर्देशानुसार परीक्षा कक्ष में CCTV कैमरों द्वारा छात्रों की परीक्षा की रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य होगा।

(C)संस्थान में पानी, बिजली, खेलकूद की उचित सुविधाएं हों।

(D)संस्थानद्वारा लगभग 50 छात्रों के रहने हेतु छात्रावास की उचित सुविधा की व्यवस्था हो।

(E)पुस्तकालय सामग्री :–

(i) प्रत्येक विषय से सम्बन्धित 10 प्रतियां, नवीनतम संस्करण
(ii) प्रत्येक विषय से सम्बन्धित प्रयोगशाला मेन्यूअल, 5 प्रतियां
(iii) सामान्य ज्ञान, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व, पर्यावरण एवं नैतिक शिक्षा से सम्बन्धित लगभग 100 पुस्तकें
(iv) दैनिक समाचार पत्र–किन्ही 2 हेतु नियमित सदस्यता (Subscription)

(v) साप्ताहिक, पाक्षिक एवं मासिक पत्रिकाएँ – किन्हीं 4 हेतु नियमित सदस्यता (Subscription)

(F)ऐनाटौमी प्रयोगशाला की सामग्री :–

(i) स्केलटन – गाय या भैंस, भेड़ या बकरी, कुत्ता एवं मुर्गा

(ii) पशु विज्ञान से सम्बन्धित विभिन्न मॉडल – संख्या 10

(G)शल्य क्रिया से सम्बन्धित औजार–संलग्नक 1 के अनुसार

(H)कांच के उपकरण/सामान – संलग्नक 2 के अनुसार

(I) केमिकल्स – संलग्नक 3 के अनुसार

(J)पशु चिकित्सा में काम आने वाली औषधियॉ – संलग्नक 4 के अनुसार

(K)प्रदर्शन चार्ट – संलग्नक 5 के अनुसार

(L)पशु चिकित्सा में काम आने वाला सामान – संलग्नक 6 के अनुसार

(M)पशु प्रजनन विज्ञान से सम्बन्धित सामान – संलग्नक 7 के अनुसार

(N)पशुशाला/पशुफार्म हेतु निम्न प्रकार से पशु होने आवश्यक है–संलग्नक 8 के अनुसार

संलग्नक–1

(G) शल्य क्रिया सम्बन्धी औजार इत्यादिः–

क्र. सं.	औजार का नाम	संख्या
1.	बरडीजो (Burdizo)	2
2.	पिन्स फोरसेप (Pens forcesps)	2
3.	कोचर फोरसेप (Kocher forceps)	2
4.	मोस्कीटो फोरसेप(Mosquito forceps)	2
5.	मेयो सिजर (Mayo scissors)	2
6.	ट्रोमेटिक निडल स्ट्रेट (Straight Traumatic needles)	6
7.	ट्रोमेटिक निडल क़र्वड (Curved traumatic neeles)	6
8.	अट्रोमेटिक निडलन स्ट्रेट (Straight Atraumatic neeles)	6
9.	अट्रोमेटिक निडल कर्वड (Curved atraumatic needles)	6
10.	बी पी हेन्डल न. 3 (B.P. Handle No. 3)	2
11.	बी.पी हेन्डल न. 4 (B.P. Handle No. 4)	2
12.	बी पी हेन्डल ब्लेड न. 10–15 (B.P. Handle Blade No. 10-15)	6
13.	बी पी हेन्डल ब्लेड न. 20–25 (B.P. Handle Blade No. 20-25)	6
14.	कोटन थ्रेड सूचर मटेरियल (Cotton thread Sutute Material)	2 पैकेट
15.	सिल्क सूचर मटेरियल (Silk thread Suture Material)	2 पैकेट
16.	स्टेन लेस स्टील सूचर मटेरियल (Stainless Steel Suture Material)	2 पैकेट
17.	प्लेन केटगट सूचर मटेरियल (Plain Catgut Suture Material)	2 पैकेट
18.	क्रोमिक केटगट सूचर मटेरियल (Chromic Cagut Sutte Material)	2 पैकेट
19.	स्टोमक ट्यूब फोर सीप एण्ड गोट (Stomach tube for sheep & goat)	2
20.	प्रोबेंग (Probang)	2
21.	घोड़े के गिराने के लिए होबल (Hobbles)	4
22.	रूमेनोटोमी सेट (Rumenotomy Set)	1
23.	चिसल और हेमर (Chital forceps)	2
24.	स्टील की आरी (Stainless Steel Saw)	2
25.	क्यूरेट (Curate)	2

26.	सीटन निडल (Seton needle)	2
27.	चीटल फोरसेप (Chital forceps)	2
28.	इरीगेटर (Irrigator)	2
29.	टीट ट्यूमर एक्सट्रेक्टर (Teat tumour extractor)	2
30.	टीट बिस्ट्यूरी (Teat bestiary)	2
31.	टीट साइफन्स(teat siphons)	2
32.	हूफ पीन्सर(Hoop pincer)	2
33.	हूफ टेस्टर (Hoop tester)	2
34.	हूफ रास्प) Hoop rasp)	2
35.	निडलन होल्डर (Needle holder)	2
36.	थम्स फोरसेप (Thumbs forceps)	2
37.	प्लास्टर सा (Plaster Saw)	2
38.	प्लास्टर स्प्रेडर (Plaster spreader)	2
39.	डीहॉर्नर (Dehorner)	1

संलग्नक–2

(H) ग्लास के उपकरण /सामानः–

क्र.सं.	सामान	मात्रा	संख्या
1	Test tubes	10 ML	50
2	Beaker	500 ml.	2
3	Glass slide	--	100
4	Cover slips	--	100
5	Measuring cylinder	500 ml.	2
6	Flask	500 ml.	2
7	Test tube stand	--	2
8	Glass Pipette	2ml, 5ml, 10 ml	2 each

संलग्नक–3

(I) केमिकल्सः–(Chemicals)

क्र. सं.	केमिकल्स का नाम	मात्रा	संख्या
1	Ammonium Chloride	500 gm	1 pkt.
2	Kaolin	500 gm	1 pkt.
3	Pectin	500 gm	1 pkt.
4	Castor oil	500 gm	1 bottle
5	Plaster of Paris	500 gm	1 pkt.
6	Wood charcoal	500 gm	1 pkt.
7	NaOH	500 gm	1 pkt.
8	KOH	500 gm	1 pkt.
9	Sodium Chloride	500 gm	1 pkt.
10	Sodium Iodide	100 gm	1 pkt.
11	Potassium Iodide	100 gm	1 pkt.
12	Magnesium Sulphate	500 gm	1 pkt.

13	Iodine crystal	100 gm	1 pkt.
14	Methyl Alcohol	500 gm	1 Bottle.
15	copper sulphate	500 gm	1 pkt.
16	Magnesium Oxide	500 gm	1 pkt.
17	Potassium permanganate	500 gm	1 pkt.
18	Glycerine	500 gm	1 Bottle
19	Boric acid	500 gm	1Bottle.
20	Sodium Bi corbonate	500 gm	1 pkt.
21	Sodium Acid phosphate	500 gm	1 pkt.
22	Turpentine oil	500 gm	1 Bottle.

संलग्नक–4

(J)पशु चिकित्सा में काम आने वाली औषधियॉ:–

1. सभी प्रकार की ऐन्टीआयोटिक्स की एक– एक वायल
2. सभी प्रकार की ऐन्टी इन्फ्लेमेटरी दवाओं की एक–एक वायल
3. सभी प्रकार की Steroidकी एक–एक वायल
4. सभी प्रकार की एन्टीपायरिटिक की एक–एक वायल
5. सभी प्रकार की Fluid therapyकी एक–एक बॅटल
6- सभी तरह की Dewormer की Tablets, Bolus, Injection and packet.
7. सभी हरबल दवाओं का एक–एक पेकेट
8. सभी Haemostatic दवाओं की एक–एक वायल
9- सभी तरह की Intramammany preparationकी एक–एक Tube
10. Calcium Borogluconateकी one Bottle
11. Calcium Borogluconateएवं Magnesuum hypohosiphideकी एक बॉटल
12. ऐन्टीसेप्टीक क्रीम –Betadine, Loraxene etc.एक–एक tube
13. सभी तरह की External parasiteकी दवा की एक–एक बॉटल

संलग्नक–5

(K) प्रदर्शन चार्ट:–

1. Cell Stucture. कोशिका की संरचना का चार्ट
2. मांसपेशियों का चार्ट
3. Chart of digestive system of ruminant
4. Chart of Nervous system of a cow-- गाय के पाचनतंत्र का चार्ट
5. मुर्गी के स्केलटन का चार्ट
6. मुर्गी के श्वसनतंत्र का चार्ट
7. मुर्गी के पाचनतंत्र का चार्ट
8. Chart of Circulatory system
9. Chart of Urinary system of animal
10. Chart of Urogenital system of male.
11. Chart of Urogenital system of female.

12. Chart of udder - अडर की संरचना का चार्ट
13. पशुओ की विभिन्न – नस्लों के चार्ट
14. वेक्सीनेषन चार्ट – गाय व भैंसों के संक्रामक रोगों का
15. वेक्सीनेषन चार्ट – भेड़ के संक्रामक रोगों का
16. वेक्सीनेषन चार्ट– मुर्गियों की मुख्या बीमारियों का

संलग्नक–6

(L) पशु चिकित्सा में काम आने वाला सामानः–

क्र.स.	सामान का नाम	संख्या
1.	ड्रेचिंग गन (Drenching Gun)	1
2	वेक्सीनेटर (Vaccinator)	1
3	स्टर्लाईजर (Steriliser)	1
4	माऊथ गेग फोर केटल (Mouth gag for cattle)	2
5	माऊथ गेग फोर होर्स (Mouth gag for Horse)	2
6	केथेटर (Catheter)	2
7	स्टोमक टूयब फोर केटल (Stomach tube for cattle)	1
8	स्टोमक टूयब फोर सीप एण्ड गोट (Stomach tube for sheep and goat)	1
9	प्रोबेंग फोर केटल (Probang)	1
10	सूत की रस्सी (Cotton ropes Bundle)	1
11	प्लास्टिक की रस्सी (Plastic ropes bundle)	1
12	आई वी सेट (I V Set)	2
13	बटर फ्लाई (Butter fly)-नीडल	2
14	मजल फोर डोग (Muzzle for dog)	2
15	इरीगेटर (Irrigator)	1
16	टीट साइफन (Tead siphons)	2
17	ट्रेविस (Travis)	1
18	Disposal syringes 5ml, 10ml,20ml, 50 ml	5 each
19	Needles 14,15,16,18,20,22,24 and 26 No.	10 each
20	Trocar Cannula	2
21	Tatooing set	1
22	Bullnose ring	1

संलग्नक–7

(M) पशु प्रजनन विज्ञान से सम्बन्धित सामान :–

क्र. सं.	सामान का नाम	संख्या
1	Uterine catheters	2
2	Vaginal speculum for large animal	1
3	Vaginal speculum for small animal	1
4	Rectal palpation sleeve	1 pkt.
5	Fenton Box	1
6	Obstetrical Instruments	1 set
7	All Instruments for Phantom	1 set
8	A I Gun	1
9	A I Box	1

10	LN 2 Jar (Liquid nitrogen Jar) 3L/5L	1
11	Clinical Thermometer - glass, Digital	2
12	Disposable Sleeve	1 pkt.
13	Sheath	1 pkt.
14	Cover slips	2 pkt.
15	Microscope	5
16	Auto clave	1
17	Hot Air Oven	1
18	Freeze	1
19	Artificial Vagina	1

संलग्नक– 8

(N) प्रशिक्षण पशु शाला/ पशु फार्म हेतु निम्न प्रकार से न्यूनतम पशु होने अपेक्षित हैं।

(i) गाय व भैंस – 05

(ii) भेड़ व बकरी – 05

(iii) मुर्गियां– 25

अथवा संस्थान किसी पशु शाला/फार्म/गोषाला से भी अनुबंध कर वहां की सुविधाओं का उपयोग कर सकेगा। इसी प्रकार से संस्थान पशुचिकित्सा संबंधी प्रषिक्षण हेतु सरकारी पशुचिकित्सालय का उपयोग भी सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों पर कर सकेगा।